

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1424/2007

1. भगवान सहाय पुत्र स्वर्गीय श्री भक्तराम खटीक , निवासी 5, लीलाशाह कॉलोनी, हायर सेकेंडरी स्कूल रोड, सांगानेर , जयपुर।
2. श्रीमती. भगवान की पत्नी केशर देवी सहाय खटीक , निवासी 5, लीलाशाह कॉलोनी, हायर सेकेंडरी स्कूल रोड, सांगानेर , जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. पीपी के माध्यम से राजस्थान राज्य
2. सुगना पुत्री श्री गोपाल , निवासी ग्राम उदयपुरिया , तहसील चौमू , जिला जयपुर।

----प्रतिवादी

से जुड़ा हुआ

एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1425/2007

गीता पुत्री भगवान सहाय , उम्र 24 वर्ष, निवासी 5, लीलाशाह कॉलोनी, हायर सेकेंडरी स्कूल रोड, सांगानेर , जयपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. पीपी के माध्यम से राजस्थान राज्य

2. सुगना पुत्री श्री गोपाल , निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू , जिला जयपुर

-----प्रतिवादी

-

याचिकाकर्ता(यों) की ओर से : श्री कपिल प्रकाश माथुर
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री सुरेश कुमार, पीपी

-

माननीय श्रीमान. जस्टिस सुदेश बंसल

निर्णय

निर्णय सुरक्षित रखा गया : 28/03/2024

फैसला सुनाया जाएगा : 24 अप्रैल, 2024

न्यायालय द्वारा:

प्रकाशनीय

1. गैर -याचिकाकर्ता संख्या 2 की भाभी ने आपराधिक विविध याचिका संख्या 1425/2007 दायर की है, जिसमें धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए, आपराधिक मामला संख्या 1244/2005, राज्य बनाम भगवान में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमू , जिला जयपुर द्वारा दिनांक 13.08.2007 को पारित आदेश

के तहत धारा 498-ए और 323 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तय किए गए आरोपों के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है। सहाय और अन्य को , और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं के वर्तमान आपराधिक मामले की कार्यवाही को समाप्त करने के लिए, जो कि धारा 498-ए, 406 और 323 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए 14.10.2005 को पुलिस स्टेशन सामोद जिला जयपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 175/2005 से उत्पन्न हुई है।

2. उल्लेखनीय है कि वर्तमान आपराधिक मामले में निचली अदालत द्वारा भेजी गई दिनांक 05.04.2024 की नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, आरोप तय होने के बाद, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है क्योंकि आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है । जहाँ तक गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 के पति का संबंध है, उसके विरुद्ध धारा 498-ए और 323 आईपीसी के तहत लगाए गए आरोपों के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए पति के विरुद्ध कार्यवाही जारी है, और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद, आरोपी पति से निचली अदालत के समक्ष धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछताछ हो चुकी है, और वर्तमान में आपराधिक मामला उसके बचाव पक्ष के साक्ष्य के चरण में लंबित है

3. यह भी ध्यान देने योग्य है कि आरोपित आदेश पारित करने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं और रिकॉर्ड में आए हैं, पति सुरेश कुमार नरानिया द्वारा तलाक की याचिका दायर करने पर , गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 के साथ 02.05.1996 को हुई उनकी शादी को भंग करने का आदेश दिया गया है और पारिवारिक न्यायालय नंबर 3, जयपुर द्वारा 19.01.2019 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक का आदेश पारित किया गया है। गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत अलग आवेदन दायर किया, लेकिन इसे उसी निर्णय के तहत पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की कार्यवाही के परीक्षण के दौरान, गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य पेश किया जिसमें उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि शादी के पांच साल बाद उससे दहेज की मांग की गई थी उसने स्वीकार किया कि उसकी छोटी बहन की शादी 12.10.2005 को तय हुई थी और वह 10.10.2005 को अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने माता-पिता के घर आई थी; और उसे उसके पति ने खुशी-खुशी छोड़ दिया था। उसने स्वीकार किया कि छोटी

बहन की शादी के बाद, उसके पिता ने 14.10.2005 को उसके पति, ससुर, सास और ननद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई ।

फैमिली कोर्ट ने 19.01.2019 के फैसले में ऐसे तथ्यों पर ध्यान दिया है कि गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 के पति ने उसे नाबालिग बेटी के साथ 03.09.2005 को उसके माता-पिता के घर के पास उसकी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए छोड़ दिया, जो 12.10.2005 को तय हुई थी, लेकिन उसके बाद, पति, सास-ससुर और ननद के खिलाफ धारा 498-ए, 406 और 323 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि एफआईआर संख्या 175/2005 में जाँच के बाद, पुलिस ने धारा 498-ए, 406 और 323 आईपीसी के अंतर्गत अपराधों के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया था, लेकिन निचली अदालत ने पाया कि अभियुक्तों पर धारा 406 आईपीसी के अंतर्गत अपराध के लिए मुकदमा चलाने हेतु प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए, केवल धारा 498-ए और 323 आईपीसी के अंतर्गत अपराधों के लिए ही आरोप तय किए गए हैं और ससुर के विरुद्ध केवल धारा 498-ए आईपीसी के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप तय किया गया है और धारा 406 आईपीसी के अंतर्गत अपराध के लिए कोई आरोप तय नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत

होता है कि याचिकाकर्ता को धारा 406 आईपीसी के अंतर्गत अपराध के लिए दोषमुक्त करने के मामले में, आदेश अंतिम हो गया है।

5. बाद की घटनाओं की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 323 के अंतर्गत अपराधों के लिए आरोप-पत्र तैयार करने का आदेश स्पष्टतः अवैध है और इसके अनुसरण में, यदि याचिकाकर्ताओं को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो यह विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा अनुवर्ती तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा सभी तथ्यों और साक्ष्यों को उनके मूल स्वरूप में देखते हुए, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करना न्याय के हित में होगा।

6. याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि वर्तमान प्राथमिकी में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई विशेष आरोप नहीं है, बल्कि उन्हें केवल गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 के ससुर, सास और ननद होने के नाते फंसाया गया है ; वास्तव में गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 अपनी शादी के बाद, वर्ष 2000 से अपने पति के साथ याचिकाकर्ताओं से अलग रहने लगी थी और प्राथमिकी के समय, किसी अन्य आवास में रह रही थी। याचिकाकर्ताओं के

पारिवारिक राशन कार्ड में गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 और उसके पति का नाम शामिल नहीं है; इसके अतिरिक्त, प्राथमिकी से भी यह स्पष्ट है कि गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 ने अपना पता मकान संख्या 5, खटीक दर्शाया है। का मोहला , छीपा की गली , सांगानेर , जबकि याचिकाकर्ता मकान नंबर 5, लीला शाह कॉलोनी, हायर सेकेंडरी रोड, सांगानेर में रहते हैं ; यह तर्क दिया गया है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप जैसे एक लाख रुपये और मारुति कार की मांग करना, प्रकृति में सामान्य हैं; 12.10.2005 को याचिकाकर्ताओं द्वारा गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 पर हमला करने और उसके शरीर पर गर्म इलेक्ट्रिक प्रेस लगाने के आरोप किसी अन्य सबूत से पुष्ट नहीं होते हैं; याचिकाकर्ताओं द्वारा उसके स्त्रीधन /दहेज के सामान के दुरुपयोग के संबंध में आरोप पहले ही ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए गए हैं। इसलिए, वर्तमान आपराधिक मामले में याचिकाकर्ताओं का निहितार्थ पूरी तरह से तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण है, बिना किसी प्रथम दृष्टया सबूत के, लेकिन सिर्फ याचिकाकर्ताओं को परेशान करने या बदला लेने के लिए या उनके खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी को संतुष्ट करने के लिए उनके नाम पति के साथ शामिल किए गए हैं।

7. अंत में, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार

करने के बाद, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप और आपराधिक कार्यवाही के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खारिज किया जा सकता है ताकि एक्स डेबिटो प्रदान किया जा सके। न्यायोचित अर्थात् वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए तथा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति देना अनुचित होगा और साथ ही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

8. इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए नोटिस भेजे जाने के बावजूद, गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

9. विद्वान लोक अभियोजक ने याचिकाओं का विरोध किया है, तथापि, वे उपरोक्त वर्णित तथ्यों की घटना सहित उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं का खंडन नहीं कर सके।

10. सुना गया.विचार किया गया.

11. प्रारंभ में, यह न्यायालय जानता है कि याचिकाकर्ता धारा 498-ए और 323 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दे सकते थे और उन्हें ऐसा करना चाहिए था। 11. प्रारंभ में, यह न्यायालय जानता है कि याचिकाकर्ता धारा 498-ए और 323 आईपीसी के

तहत अपराधों के लिए आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दे सकते थे और उन्हें ऐसा करना चाहिए था। क्या गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 के कहने पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है या क्या याचिकाकर्ताओं के रूप में वर्तमान आपराधिक मामले की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से न्याय का उद्देश्य पूरा होगा?

इस प्रकार, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान मामले के ऐसे विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर विचार न करना और याचिकाकर्ताओं को सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका का उपाय करने से राहत देना, वह भी लगभग सोलह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद, और इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के बाद, न्यायसंगत और उचित नहीं होगा, बल्कि यदि इन याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाता है और गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो यह अन्याय होगा। अन्यथा भी धारा 397 सीआरपीसी के तहत दाखिल करने के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता, योग्यता पर विचार किए बिना धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने धारीवाल तंबाकू उत्पाद लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य

[(2009) 2 एससीसी 370] के मामले में माना है। उस मामले में, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यापक परिमाण पर विचार करते हुए, जिसे धारा 482 सीआरपीसी के आधार पर मान्यता प्राप्त और बचाया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई बनाम रविशंकर श्रीवास्तव के मामले में की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया [(2006) 7 एससीसी 188] जो इस प्रकार हैं:

7. इस प्रकार के मामले में संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग अपवाद है, नियम नहीं। यह धारा उच्च न्यायालय को कोई नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करती है। यह केवल उस अंतर्निहित शक्ति को बचाती है जो संहिता के अधिनियमित होने से पहले न्यायालय के पास थी। यह तीन परिस्थितियों की परिकल्पना करती है जिनके तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्, (i) संहिता के तहत एक आदेश को प्रभावी करने के लिए, (ii) अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (iii) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। किसी भी अनम्य नियम को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है जो अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करेगा। प्रक्रिया से निपटने वाला कोई भी विधायी अधिनियम उन सभी मामलों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है जो संभवतः उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए, न्यायालयों के पास कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा अंतर्निहित शक्तियाँ हैं जो

कानून द्वारा उन पर लगाए गए कार्यों और कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। सभी न्यायालय, चाहे दीवानी हों या फौजदारी, किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, अपने संविधान में निहित, न्याय प्रशासन के दौरान सही करने और गलत को पूर्ववत करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ रखते हैं, इस सिद्धांत पर कि "क्वांडो लेक्स अलिक्विड अलिकुई कॉन्सेडिट, कॉन्सेडर विडेटुर एट आइड सिने क्वो रेस इप्से एसे नॉन पोटेस्ट" (जब कानून किसी व्यक्ति को कुछ देता है, तो वह उसे वह भी देता है जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं रह सकता)। इस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। इस धारा के तहत निहित अधिकार क्षेत्र, यद्यपि व्यापक है, का प्रयोग संयम से, सावधानीपूर्वक और सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए और केवल तभी जब ऐसा प्रयोग धारा में ही विशिष्ट रूप से निर्धारित मानदंडों द्वारा उचित ठहराया गया हो। इसका प्रयोग वास्तविक और सारभूत न्याय करने के लिए एक्स डेबिटो जस्टिटिया के तहत किया जाना चाहिए, जिसके प्रशासन के लिए ही न्यायालय अस्तित्व में हैं। न्यायालय का अधिकार न्याय को आगे बढ़ाने के लिए है और यदि अन्याय उत्पन्न करने के लिए उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो न्यायालय के पास दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। किसी भी ऐसी कार्रवाई की अनुमति देना जो अन्याय का कारण बने और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा उत्पन्न करे,

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए न्यायोचित होगा यदि उसे लगता है कि उसे शुरू करना/जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाहियों को रद्द करने से अन्यथा न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जब शिकायत से कोई अपराध प्रकट नहीं होता है, तो न्यायालय तथ्य के प्रश्न की जाँच कर सकता है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाए हैं और क्या कोई अपराध बनता है, इसका आकलन करने के लिए सामग्री की जाँच करना अनुमत है, भले ही आरोपों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए।

(जोर दिया गया)

इसलिए, याचिकाकर्ताओं को सत्र न्यायालय के समक्ष वैकल्पिक उपाय अपनाने की छूट देने के बजाय, दोनों याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है।

12. दोनों याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए, वर्तमान आपराधिक मामले के तथ्यों पर संक्षेप में विचार करना वांछनीय है। अभिलेखों से प्राप्त मामले के तथ्य यह हैं कि गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 ने 02.05.1996 को सुरेश कुमार नारानिया नामक व्यक्ति से विवाह किया और इस विवाहेतर संबंध से गैर-याचिकाकर्ता संख्या

2 ने 07.02.2001 को एक शिशु को जन्म दिया। सुरेश कुमार याचिकाकर्ता भगवान का पुत्र है। सहाय और श्रीमती केशर देवी और याचिकाकर्ता गीता के भाई , इस प्रकार याचिकाकर्ता भगवान सहाय और केशर देवी ससुर हैं और याचिकाकर्ता गीता गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 की ननद हैं। गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 के पिता श्री गोपाल खटीक ने 14.10.2005 को पुलिस स्टेशन सामोद , जिला जयपुर में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में उसके ससुराल वालों की मांग के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन शादी के बाद, उसकी बेटी के ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और एक मारुति कार और एक लाख रुपये नकद देने की बार-बार मांग की। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि लगभग दस दिन पहले, उसे बेरहमी से पीटा गया और उसके हाथ और गर्दन पर गर्म इलेक्ट्रिक प्रेस दागी गई, उसके बाद उन्होंने 12.10.2005 को उसकी बेटी को उदयपुरिया मोड़ पर छोड़ दिया और मारुति कार और एक लाख रुपये नकद लिए बिना ससुराल वापस न आने को कहा। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि बेटी के ससुराल वालों ने उसकी बेटी के साथ-साथ उसकी बेटी, जो चार साल की नाबालिग लड़की है, के साथ कई तरह की क्रूरता की, क्योंकि आमतौर पर दोनों को भूखा रखा जाता था

एफआईआर में प्रार्थना की गई थी कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तथा उनकी बेटी की शादी में दिए गए दहेज के सामान को आरोपियों से बरामद किया जाए।

13. एफआईआर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एफआईआर विवाह के लगभग नौ वर्ष बीत जाने के बाद दर्ज की गई है और इसमें गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 पर मारुति कार और एक लाख रुपये नकद की मांग के लिए क्रूरता बरतने के सामान्य आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 के पति, सुरेश कुमार के अलावा, उसके ससुर, सास और अविवाहित ननद (यहाँ याचिकाकर्ता) का भी एफआईआर में नाम है, हालाँकि एफआईआर में किसी भी याचिकाकर्ता की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है।

14. एफआईआर में जांच के बाद, पुलिस ने गैर याचिकाकर्ता संख्या 2 के पति, ससुर, सास और ननद के खिलाफ धारा 498-ए, 406 और 323 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया, हालाँकि, आरोप तय करते समय, दिनांक 13.08.2007 के आदेश में ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से देखा कि धारा 406 आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए आवश्यक तत्व एफआईआर में अनुपस्थित थे, साथ ही जांच रिपोर्ट में भी, इसलिए, धारा 406 आईपीसी के तहत अपराधों

के लिए कोई आरोप तय नहीं किया गया था, हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने सभी चार आरोपियों के खिलाफ धारा 498-ए आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोप तय किए, और पति, सास और ननद के खिलाफ धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोप तय किए।

15. कानूनी स्थिति यह है कि आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करे ताकि उनसे उभरने वाले तथ्यों का उनके अंकित मूल्य पर पता लगाया जा सके और कथित अपराधों को बनाने वाले सभी आवश्यक तत्वों के अस्तित्व का खुलासा किया जा सके। यद्यपि, ऐसे चरण में, न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सत्यापन मूल्य की गहराई में जाए और न्यायालय से यह अपेक्षित नहीं है कि वह इस आधार पर साक्ष्य का मूल्यांकन करे कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है या नहीं, तथापि, यह वांछनीय है कि कम से कम प्रथम दृष्टया ऐसा मामला बनाया जाए जिससे कथित अपराधों में अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में प्रबल संदेह हो और जिन अपराधों के लिए आरोप तय किए जाने हैं, उनके गठन के लिए आवश्यक तत्वों का अस्तित्व अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से प्रतिबिम्बित हो।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमित कपूर बनाम रमेश चंदर **[(2012) 9 एससीसी 460]** के मामले में आरोप को रद्द करने या कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से निपटते हुए, अधिकार क्षेत्र के उचित प्रयोग के लिए कुछ सिद्धांतों को चित्रित किया है, विशेष रूप से धारा 397 या धारा 482 सीआरपीसी के तहत आरोप को रद्द करने के संबंध में। पैरा संख्या 27 में, प्रासंगिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें यहां उद्धृत किया जा रहा है : -

"27.1। हालांकि संहिता की धारा 482 के तहत न्यायालय की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जितनी अधिक शक्ति है, इन शक्तियों को लागू करने में उतनी ही अधिक सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए। आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति, विशेष रूप से, संहिता की धारा 228 के संदर्भ में तैयार किए गए आरोप का प्रयोग बहुत ही संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में।

27.2। न्यायालय को यह परीक्षण लागू करना चाहिए कि मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से लगाए गए निर्विवाद आरोप प्रथम दृष्टया अपराध को स्थापित करते हैं या नहीं। यदि आरोप इतने स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है और जहां

आपराधिक अपराध के मूल तत्व संतुष्ट नहीं होते हैं तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

27.6। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और शिकायतकर्ता या अभियोजन पक्ष के जांच और मुकदमा चलाने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखे अपराधी।

27.7. न्यायालय की प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष या अंतिम/गुप्त उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

27.9. एक और बहुत महत्वपूर्ण सावधानी जो न्यायालयों को बरतनी है, वह यह है कि वह रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों, साक्ष्यों और सामग्रियों की जांच करके यह निर्धारित नहीं कर सकती कि क्या पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर मामला दोषसिद्धि पर समाप्त होगा; न्यायालय मुख्य रूप से समग्र रूप से लिए गए आरोपों से चिंतित है कि क्या वे एक अपराध का गठन करेंगे और यदि ऐसा है, तो क्या यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जिससे अन्याय हो रहा है।

27.15. उपरोक्त में से किसी एक या सभी के साथ, जहां न्यायालय पाता है कि यह संहिता की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय का हित इसके पक्ष में है , अन्यथा वह आरोप को रद्द कर सकता है। शक्ति का प्रयोग पूर्व- डेबिटो

न्यायोचित कार्य , अर्थात् वास्तविक और पर्याप्त न्याय करना,
जिसके प्रशासन के लिए ही न्यायालय विद्यमान हैं।”

17. अमित कपूर (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यापक सिद्धांतों का पालन और पुनरावृत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में मनेंद्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी [(2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1057] के मामले में की गई है, जिसका निर्णय 12.08.2022 को हुआ था, जिसमें पुनरीक्षण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए धारा 376 आईपीसी और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5/6 के तहत अपराधों के लिए आरोप को रद्द करने के उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया गया है, हालांकि, यह माना गया है कि उच्च न्यायालय के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका या धारा 397 सीआरपीसी के तहत पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने की स्वतंत्रता है, ताकि निचली अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों को रद्द किया जा सके, फिर भी साक्ष्य की शुद्धता या पर्याप्तता को तौलकर ऐसा नहीं किया जा सकता है। यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय को आरोप तय करने के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह मानने के लिए मजबूत कारण न हों कि न्याय के हित में और न्यायालय की प्रक्रिया के किसी भी दुरुपयोग से

बचने के लिए, अभियुक्त के खिलाफ तय किए गए आरोप को रद्द किया जाना चाहिए।

18. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप अस्पष्ट हैं और केवल सामान्य प्रकृति के हैं, दहेज की मांग के लिए गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 को परेशान करने के संबंध में, विशेष रूप से अपने माता-पिता से मारुति कार और एक लाख रुपये नकद लाने के लिए। किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 के शरीर पर इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस लगाने या शादी के बाद नौ साल की अवधि के भीतर उसके साथ कोई भी मारपीट करने का कोई सबूत नहीं है। गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 के साथ दुर्यवहार और दुर्यवहार करने के लिए सास के खिलाफ नंगे और आकस्मिक आरोप, धारा 498-ए आईपीसी के तहत परिभाषित क्रूरता को आकर्षित नहीं करते हैं। एफआईआर की सामग्री से ही, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 याचिकाकर्ताओं के निवास से अलग एक अलग घर में रह रही थी। गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 का पता और याचिकाकर्ताओं का पता, जैसा कि एफआईआर में उल्लिखित है, पूरी तरह से अलग हैं और एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। याचिकाकर्ताओं ने राशन कार्ड की प्रति भी प्रस्तुत की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 और

उनके पति, अर्थात् याचिकाकर्ताओं के पुत्र और भाई, उनके राशन कार्ड में संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं हैं। राशन कार्ड कोई विवादित दस्तावेज़ नहीं है। इस प्रकार, जहाँ तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, उनके विरुद्ध लगाए गए सामान्य आरोप प्रथम दृष्टया निराधार हैं और ऐसे आरोपों का कोई आधार नहीं है। हालाँकि, निचली अदालत ने ससुर, सास और ननद के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 323 के अंतर्गत आरोप-पत्र दायर करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। यद्यपि, याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत अपराध से मुक्त कर दिया गया है, तथापि, नौ वर्ष से अधिक के विलम्ब, अस्पष्ट आरोपों, गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 के पृथक निवास, तथा विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में सामान्य आरोपों की तुच्छता को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 323 के अंतर्गत अपराधों से मुक्त किया जा सकता था, किन्तु निचली अदालत ने गवाहों के बयानों का सूक्ष्म विश्लेषण करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं तथा गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 के पति के विरुद्ध आरोप निर्धारण में अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि की। पति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को चुनौती नहीं दी जा सकती।

19. गीता मेहरोत्रा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2012) 10 एससीसी 741] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि वैवाहिक विवाद में पति के परिवार के सदस्यों के नामों का केवल आकस्मिक उल्लेख, मामले में सक्रिय संलिप्तता के आरोपों के बिना, उनके विरुद्ध संज्ञान लेने के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि अनुभव से यह तथ्य सामने आया है कि वैवाहिक विवाद में होने वाले घरेलू झगड़े में पति के पूरे परिवार के सदस्यों को शामिल करने की प्रवृत्ति होती है, खासकर जब यह शादी के तुरंत बाद होता है। उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बाद पत्नी द्वारा प्राप्त एकपक्षीय तलाक के फैसले को महत्व दिया था। अंत में यह माना गया कि भाई और भाभी के खिलाफ विशिष्ट आरोपों के अभाव में और पत्नी द्वारा तलाक की एकपक्षीय डिक्री प्राप्त करने के बाद, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखना, अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।

20. प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य (एआईआर 2010 एससीसी 3363) के मामले में, विवाहित ननद और अविवाहित देवर, जो शिकायतकर्ता के निवास स्थान से अलग रह रहे थे, ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में

याचिका दायर कर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अपराध के लिए दर्ज शिकायत और कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। संपूर्ण घटनाक्रम और तथ्यों पर विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ननद और देवर को फंसाना सिर्फ उन्हें परेशान और अपमानित करने के लिए प्रतीत होता है, इसलिए, शिकायतकर्ता को उनके खिलाफ शिकायत को आगे बढ़ाने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवाद में और विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत दर्ज आपराधिक मामलों में पति के रिश्तेदारों को अत्यधिक फंसाए जाने के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की। यह माना गया कि "पति के करीबी रिश्तेदारों, जो अलग-अलग शहरों में रह रहे थे और शिकायतकर्ता के निवास स्थान पर कभी नहीं गए या कभी-कभार ही गए, द्वारा उत्पीड़न के आरोपों का स्वरूप बिल्कुल अलग होगा। वैवाहिक विवाद में पति के रिश्तेदारों को शामिल करने के शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की अत्यंत सावधानी और सतर्कता से जाँच की जानी चाहिए।" माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि वैवाहिक विवाद से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति रही है।

21. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2023) लाइव लॉ (एससी) 731] के मामले में, धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति की रूपरेखा पर चर्चा की। उस मामले में धारा 498-ए आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत अपराध के लिए दर्ज एफआईआर में आपराधिक कार्यवाही को सास और ननद सहित पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ रद्द कर दिया गया था।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इकबाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2023) 8 एससीसी 734] के मामले में यह माना कि जब कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष, या तो धारा 482 सीआरपीसी के तहत अंतर्निहित शक्ति या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए, एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द कराने के लिए आता है, अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफआईआर को ध्यान से और थोड़ा और बारीकी से देखे।

यह भी कहा गया कि न्यायालय के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में दिए गए कथनों पर गौर करना ही पर्याप्त नहीं होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराध के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा किया गया है या नहीं, क्योंकि तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह कथनों के अलावा मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली कई अन्य परिस्थितियों पर भी गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सतर्कता के साथ, पंक्तियों के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करे।

(जोर दिया गया)

23. वर्तमान मामले के उपलब्ध तथ्यों से, यह निर्विवाद तथ्य है कि 02.05.1996 को संपन्न विवाह की तिथि से नौ वर्ष से अधिक समय पश्चात् 14.10.2005 को प्राथमिकी दर्ज की गई; प्राथमिकी में उल्लिखित पते के अनुसार, गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2, याचिकाकर्ताओं से अलग, किसी अन्य स्थान पर रह रही थी। याचिकाकर्ताओं के नाम एफआईआर में पति के साथ गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 पर क्रूरता के बहुत ही सामान्य और सामान्य आरोप लगाए गए हैं, जैसे मारुति कार और एक लाख रुपये नकद की मांग करना, गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 के साथ उसके ससुराल में

दुर्व्यवहार और बुरा व्यवहार करना। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला बनाने की कोशिश की गई है कि वे शादी के बाद से दहेज की मांग के लिए गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 को परेशान कर रहे थे। यह रिकॉर्ड में आया है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद, गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 के पति ने गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के आधार पर 29.03.2011 को फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दायर की। काउंटर में, गैर-याचिकाकर्ता नंबर 2 ने वर्ष 2012 में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर की। दोनों याचिकाओं में, एक संयुक्त परीक्षण शुरू किया गया पारिवारिक न्यायालय ने 19.01.2019 को दिए गए सामान्य निर्णय के तहत दोनों याचिकाओं पर निर्णय दिया और विवाह को भंग करने का आदेश दिया तथा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 की याचिका को खारिज कर दिया।

24. गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 और उसके पति के बीच पारिवारिक न्यायालय में शुरू हुई कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही के रिकॉर्ड का विषय है और इसे विवादित नहीं किया जा सकता है। 19.01.2019 के फैसले में, पारिवारिक न्यायालय ने संबंधित पक्षों के साक्ष्य की सराहना करते हुए नोट किया है कि गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 अपने पति के साथ किराए के

मकान में रह रही थी, जहां से उसके पति ने गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 को 03.09.2005 को उसके माता-पिता के घर पर छोड़ दिया ताकि उसकी पत्नी अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल हो सके, जो 12.10.2005 को तय हुई थी। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि इस तरह की कार्यवाही के दौरान, गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 के अदालती बयानों में, उसकी जिरह के दौरान, उसने स्वीकार किया कि उसकी छोटी बहन की शादी के बाद, उसके पिता ने 14.10.2005 को उसके पति, ससुर, सास और ननद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी । गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 ने पारिवारिक न्यायालय में अपने बयानों में स्वीकार किया कि दहेज की मांग शादी के पांच साल बाद की गई थी और यह रिकॉर्ड में आया है कि इससे पहले, वह अपने पति के साथ किराए के मकान में चली गई थी और याचिकाकर्ताओं से अलग रहने लगी थी। गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 का अलग निवास स्पष्ट रूप से स्पष्ट है और गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 के बयानों की सराहना के बाद एफआईआर में उल्लिखित उसके पते से इसे निर्विवाद तथ्य के रूप में लिया जा सकता है, एफआईआर में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 पर शादी के तुरंत बाद से दहेज की मांग के लिए क्रूरता के आरोप लगाए गए हैं, जो पहली नजर में तुच्छ प्रतीत होते हैं। शादी के नौ साल बाद और बहुत ही सामान्य और सामान्य आरोपों के

आधार पर याचिकाकर्ताओं को आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध के लिए घसीटना उचित नहीं है।

25. इस न्यायालय की राय में, वर्तमान आपराधिक मामले में याचिकाकर्ताओं की संलिप्तता को अतिशयोक्ति कहा जा सकता है और क्योंकि धारा 498-ए आईपीसी के मामले में पति के सभी परिवार के सदस्यों को शामिल करने की प्रवृत्ति है। इसी तरह, धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए सास और ननद की संलिप्तता भी पूरी तरह से निराधार प्रतीत होती है और इस न्यायालय को लगता है कि याचिकाकर्ताओं का नाम एफआईआर में सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए या बदला लेने या निजी दुश्मनी निकालने के गुप्त मकसद से दिया गया था। विद्वान ट्रायल कोर्ट इन परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट हैं और इस न्यायालय की राय में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप टिकने योग्य नहीं हैं और न्याय की विफलता का कारण बनते हैं, इसलिए, धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप उचित है ।

26. यह निस्संदेह सर्वविदित है कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व्यापक है, तथापि, इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए,

वह भी असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने तथा वास्तविक एवं सारवान न्याय करने के लिए इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग आवश्यक हो। अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सामान्यतः किसी वैध अभियोजन को रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि किसी अनुचित अभियोजन को रोकने के लिए किया जा सकता है, यदि ऐसा पाया जाता है कि वह विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

27. वर्तमान मामले में विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के साथ-साथ अन्य सभी परिस्थितियों पर भी ध्यान देने के बाद, जिसमें बाद के तथ्य भी शामिल हैं जो विवाद में नहीं हैं, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 498-ए और 323 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए वर्तमान आपराधिक मामले में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और इसलिए, एक्स डेबिटो प्रदान करने के लिए न्यायोचित , इसका अर्थ वास्तविक और पर्याप्त न्याय करना है, और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने का विवादित आदेश रद्द किया जाता है, और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला संख्या 1244/2005 (नया मामला संख्या

140/2019) राज्य बनाम भगवान के रूप में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है। सहाय एवं अन्य के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट, चोमू , जिला जयपुर की अदालत में लंबित मामले एतद्वारा केवल याचिकाकर्ताओं के आधार पर निरस्त किए जाते हैं। तदनुसार, दोनों याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं।

28. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 के पति के विरुद्ध वर्तमान आपराधिक मामले की कार्यवाही जारी रहेगी तथा विधि के अनुसार ट्रायल कोर्ट द्वारा उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा।

29. इस आदेश की एक प्रति संलग्न फाइल में रखी जाए।

30. इस आदेश की प्रति अनुपालन हेतु तत्काल ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए।

31. स्थगन आवेदन और कोई अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(सुदेश बंसल), जे

सौरव/

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी

अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी